न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 176/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 दीपाराम पुत्र कमलाराम जाति सिरवी निवासी बागावास तहसील सोजत जिला पाली हाल निवासी ब्यावर जिला अजमेर (राज0)।		1. हेमाराम पुत्र कमलाराम जी जाति सिरवी निवासी बागावास तहसील सोजत जिला पाली 2. तहसीलदार(भूमिधारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति:–

01. श्री कैलाश दवे अधिववक्ता प्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक: 12/12/22

अधिववक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बागावास पटवार हल्का धाकड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुरायता तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खाता संख्या 294 पुरान खाता संख्या 288 के खसरा नबंर 1444 रकबा 2.0800 हैक्टर की कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है, प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नबंर 1444 की भूमि पर प्रार्थी का ही शांतिपूर्वक तरीके से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है, प्रार्थी की उक्त भूमि के पड़ौस में अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य संयुक्त खातेदारान की कृषि भूमि के खसरा नबंर 1443 रकबा 5.4000 हैक्टर आयी हुई स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 की नियत पूर्व से बद्ध थी, व येन केन प्रकारेण प्रार्थी की खातेदारी कृषि जोत की भूमि पर नाजायज कब्जा करने पर उतारू रहते है, तथा मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के सीमाज्ञान/पत्थर गढ्ढी के अभाव में हर समय सीमाओं, धोरापाली को लेकर विवाद होने की संभावना रहती है तथा मौके पर विवाद होते रहते है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 उसकी भूमि पर हस्तक्षेप नही करने हेतु निवेदन किया, लेकिन मानने को तैयार नही हुआ और एलानियां कहने लगे कि हम तो तुम्हारी खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जा करके रहेंगे, पूर्व में भी उक्त कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य धोरे एवं काश्त को लेकर विवाद होने पर प्रार्थी द्वारा श्रीमान तहसीलदार को सीमाकंन हेतु निवेदन किया, तथा संबंधित राजस्व पटवारी आये, लेकिन मौके पर विवाद होने से उक्त भूमि का वैध सीमाकंन एवं

उप खण्ड अधिकारी

पत्थर गढ़डी नही हो सकी। प्रार्थी द्वारा बार बार मौके पर सीमाज्ञान व पत्थर गढ़ढी के अभाव में विवाद होते रहने से दिनांक 04/11/2022 को श्रीमान तहसीलदार सोजत के कार्यालय में प्रार्थना पत्र बाबत सीमाकंन हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा मौके पर सीमाकंन हेतु आने पर मौके पर विवाद होने की स्थिति पटवारी हल्का द्वारा विवाद की रिपोर्ट दिनांक 04/11/2022 को तहसीलदार सोजत के समक्ष प्रस्तुत की, तथा मौके पर सीमाकंन नही किया जा सका। अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा ग्राम बागावास तहसील सोजत जिला पाली में स्थित खसरा नबंर 1444 रकबा 2.0800 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 व संयुक्त खातेदार की भूमि के खसरा नबंर 1443 रकबा 5.4000 हैक्टर कृषि भूमि की सीमाओं का सीमांकन पत्थरगढी के जरिए करवाना चाहता है, जो करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना / तामिली बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 12.12.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जबाब प्रा0 पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 सरहद मौजा बागावास में स्थित है। पैरा संख्या 2 वादी स्वयं सिद्ध करने व पैरा संख्या 3 व 4 को कानूनी होना बताया है।

बहस प्रार्थना पत्र वकुलाय सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रार्थना पत्र सरहद मौजा ग्राम बागावास तहसील सोजत जिला पाली में स्थित खसरा नबंर 1444 रकबा 2.0800 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 व संयुक्त खातेदार की भूमि के खसरा नबंर 1443 रकबा 5.4000 हैक्टर कृषि भूमि की की कृषि भूमि का बरूवे मौका राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शा अनुसार मौके पर नापचौप करके सीमांकन करवाकर मुटाम लगवाया जावें तत् पश्चात् मौके पर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवायी जाने की ईश्तदुआ की है। बहस के दौरान अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने व्यक्त किया कि प्रार्थित भूमि का यदि सीमांकन किया जाकर जरिए पत्थरगढी मुटाम कायम किये जाने के आदेश पारित किये जाने तो कोई आपति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः सरहद मौजा ग्राम बागावास तहसील सोजत जिला पाली में स्थित खसरा नबंर 1444 रकबा 2.0800

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 व संयुक्त खातेदार की भूमि के खसरा नबंर 1443 रकबा 5.4000 हैक्टर कृषि भूमि की की कृषि भूमि का प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा काश्त की भूमि स्थित का सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाने की पालना किये जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश:—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम बागावास तहसील सोजत जिला पाली में स्थित खसरा नबंर 1444 रकबा 2.0800 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 व संयुक्त खातेदार की भूमि के खसरा नबंर 1443 रकबा 5.4000 हैक्टर की कृषि भूमि भूमि प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना 15 दिवस में तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 12/12/22 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत